न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

दावा सं० 65/2019

प्रविष्टि दिनांक 26.06.2019

उनवान

1. देवी सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राणा निवासी पथराज मुश्तर्का हनोतिया बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक

वादीगण

बनाम

1. छीतर सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राणा निवासी पथराज मुश्तर्का हनोतिया बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री शंकर लाल चौधरी अभिभाषक वादी
श्री महेश शर्मा अभिभाषक प्रतिवादी सं0 1
पेरोकार सरकार प्रतिवादी सं0 2

निर्णय
दावा बाबत–उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

दिनांक– 18/3/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादी द्वारा एक वाद बाबत उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार भूमि ख.न. 340 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, वाके ग्राम पथराज मुश्तरका पटवार हल्का हनोतिया बुजुर्ग, निवाई तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है जिस पर वादी अपने हिस्से की भूमि को काश्त करता है। उक्त भूमि मे वादी व प्रतिकी सं० 1 दोनो का संयुक्त रूप से 8/9 हिस्सा है। 1/9 हिस्सा वादी की बहिन भागुन के नाम दर्ज रिकाड़ है। वादी की बहिन भागुन की मृत्यु लगभग 30 वर्ष पूर्व हो चुकी है वह अविवाहित थी। उसकी मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादी सं० 1 उसके विधिक वारिसान है। इस प्रकार उक्त भूमि मे वादी व प्रतिवादी सं० 1 का 1/2 हिस्सा है और उसी अनुरूप वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 काबिज है। लेकिन राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही से वादी की मृतक बहिन का हिस्सा बदस्तूर चला आ रहा है। इसलिए वादी को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी सं० 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी का नाम धानू पुत्र मोहन के स्थान पर देवीसिंह पुत्र मोहन किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम दुरूस्त किया जावे।

इसके पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2072–75, नामान्तकरण, राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादी सं0 1 की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकितानुसार वाद पत्र में चाही गई इस्तदुआ स्वीकार है।

पैरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड अनुसार धानू छीतर पि0 मोहन हि0 8/9 भागुत पुत्री मोहन हि0 1/9 जाति राणा दर्ज है। मजमे आम में जानकारी करने पर

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned with CamScanner

पाया गया कि देवी सिंह व धानूसिंह एक ही व्यक्ति है। भागुत पुत्री मोहन सिंह की मृत्यु बचपन में लगभग 13–14 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। अतः बाद जांच नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही की जा सकती है।

हमने दावे पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। प्रतिवादी सं० 1 ने अपने जवाब में वाद पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार करते हुए अंकित इस्तदुआ को स्वीकार करने पर सहमति दी है। इसके अतिरिक्त पैरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार भी भागुत पुत्री मोहन की मृत्यु लगभग 13–14 वर्ष की आयु में ही होना अंकित किया है तथा धानू सिंह व देवीसिंह एक ही व्यक्ति होना भी अंकित किया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्रो के तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण के अवलोकन में पाया गया कि मोहनसिंह पुत्र हरदेवा की फोती का नामान्तरकरण भरे जाने के दौरान उक्त त्रुटि हुई है जिसमे संभतः बोलते नाम धन्यो से नामान्तरकरण भर दिया गया है। अपितु त्रुटि लगभग 30 वर्ष से भी अधिक समय की है और वादी उक्त त्रुटि को सुधारने हेतु सक्षम धारा में वाद भी नहीं लाये है लेकिन पैरोकार सरकार की रिपोर्ट मे उक्त त्रुटि को स्वीकार किया गया है। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब एवं पेरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय वादी का वाद स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः वाद उदघोषणा दुरूस्ती इन्द्राज बाबत ख.न. 340 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, वाके ग्राम पथराज मुश्तरका पटवार हल्का हनोतिया बुजुर्ग, निवाई तहसील निवाई जिला टोंक स्वीकार किया जाकर, उक्त भूमि मे वादी को 1/2 एवं प्रतिवादी सं० 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही उक्त भूमि में अंकित नाम **"धानू"** के स्थान पर **"देवी सिंह"** की दुरूस्ती की जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि रहन के नोट को यथावत रखते हुए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अंकन व दुरूस्ती की जाकर पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/3/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned with CamScanner